



218/1

दूरभाष- 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 1605 / 05 / 76 / एक / 2015-16
सेवा में,

दिनांक : 21 जुलाई 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-बस्ती।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एक्सिस बैंक	915010021963517	IFSC Code UTIB0000855	219.123

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट (द्वितीय किस्त)	न०पा०प० बस्ती	वार्ड सं०-17 मो० रामेश्वरपुरी (वमनगावां) में रौता चौराहा आर०एम० पेन्ट शाप से नोमान अहमद के घर होते हुए जमाल अहमद के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.591
2	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट-प्रथम किस्त	न०पा०प० बस्ती	मोहल्ला तुरकहिया में इ० त्रियुगी प्रसाद पाण्डेय के मकान से इण्टरलाकिंग सड़क तक इण्टरलाकिंग एवं दोनो तरफ नाली का निर्माण कार्य।	14.827
3	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट-प्रथम किस्त	न०पा०प० बस्ती	मो० बेलवाडाड़ी में ओ०पी० श्रीवास्तव व अन्य के मकान होते हुये प्रा०वि० चौराहे तक इण्टरलाकिंग एवं दोनो तरफ नाली का निर्माण कार्य।	13.991
4	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट-प्रथम किस्त	न०पा०प० बस्ती	मु० बेलवाडाड़ी में अरविन्द प्रसाद शुक्ला, कृष्ण कुमार विश्वकर्मा व अन्य के घर होते हुये विमला सदन तक इण्टरलाकिंग एवं दोनो तरफ नाली का निर्माण कार्य।	13.991
5	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट-प्रथम किस्त	न०पा०प० बस्ती	मु० विशुनपुरवा में ए०के० व नन्दू, रामनरायन के घर से अशोक व अन्य के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	17.047
6	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट-प्रथम किस्त	न०पा०प० बस्ती	मु० विशुनपुरवा में बलवन्त के घर से राना, लालू एवं अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य।	17.047
7	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट-प्रथम किस्त	न०पा०प० बस्ती	मु० बेलवाडाड़ी में कृष्ण कुमार विश्वकर्मा के घर से देवकी नन्दन श्रीवास्तव के घर से होते हुये ओ०पी० श्रीवास्तव व अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	15.588
8	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट-प्रथम किस्त	न०पा०प० बस्ती	मु० विशुनपुरवा में जी०एन० धर्मेन्द्र के घर से मोहन, मनोज व अन्य के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	15.708
9	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट-प्रथम किस्त	न०पा०प० बस्ती	मु० महरीखावां के सिविल लाईन में सी०एल०यादव के घर से अशर्फी डी०के० तिवारी, हुकुत अली व अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	15.703



218/2

दूरभाष- 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
				मु० महरीखावां के सिविल लाईन में राना के घर से कें०के० तिवारी के घर होते हुये अजय सिंह एवं अन्य के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	15.592
10	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट-प्रथम किश्त	न०पा०प० बस्ती	वार्ड नं० 21 विशुनपुरवा में चिन्तामणि के घर से सीताराम सोनकर के होते हुये अल्पसंख्यक मार्ग तुर्करिया जगदम्बा पाल के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2.140
11	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट-प्रथम किश्त	न०पा०प० बस्ती	वार्ड नं० 06 तुरकहिया में रामधनी प्रधान के घर से तुरकहिया मोहल्ले के सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	7.069
12	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट-प्रथम किश्त	न०पा०प० बस्ती	वार्ड नं० 8 बेलवाडाड़ी में अब्दुल वाहिद अंसारी के घर से मेहतर टोला होते हुए डा० हरिशंकर यादव के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.168
13	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट-प्रथम किश्त	न०पा०प० बस्ती	वार्ड नं० 24 मो० महरीखावां में अशफ़ीलाल के घर से सुहेल भाई के घर होते हुए खैर इण्टर कालेज मार्ग तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.200
14	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट-प्रथम किश्त	न०पा०प० बस्ती	वार्ड नं० 14 कम्पनीबाग के मो० सिविललाईन में इसराइल के घर से मेन सड़क तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.132
15	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट-प्रथम किश्त	न०पा०प० बस्ती	वार्ड नं० 14 कम्पनीबाग के मो० सिविललाईन में हुजुल के घर से जयराम के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.388
16	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट-प्रथम किश्त	न०पा०प० बस्ती	वार्ड नं० 14 कम्पनीबाग के मो० सिविललाईन में अमर के घर से होते हुये उल्लाह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.981
17	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट-प्रथम किश्त	न०पा०प० बस्ती	वार्ड नं० 24 मो० महरीखावां मोहल्ले में शंकर के घर होते हुये मेन सड़क तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.701
18	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट-प्रथम किश्त	न०पा०प० बस्ती	वार्ड नं० 24 मो० महरीखावां मोहल्ले में अनिल के मकान से होते हुये दूबे के मकान के आगे तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.557
19	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट-प्रथम किश्त	न०पा०प० बस्ती	वार्ड नं० 24 मो० महरीखावां मोहल्ले में श्रीवास्तव जी के मकान से गुप्ता जी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.702
20	योग				219.123

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जाये उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।



218/3

- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त में 50 प्रतिशत की धनराशि एवं द्वितीय/अन्तिम किश्त की अवशेष धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें प्रथम/द्वितीय किश्त में अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,


(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अधि० अभियन्ता-सूडा
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।


(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक